31/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट केस मोण्डफाट में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन लोक अदालत की भावना से किया गया। वादी का सम्पर्क वादी पेश हेतु अनेक बार किये जाने के बावजूद भी सम्पर्क वादी पेश नहीं किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत की गई आदेश 17 नि. 3 का खारीज किया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उक्त भूमि आबादी मौजे श्रीनायक की के नाम दर्ज पाई गई है। अतः दावा आदेश 17 नि. 3 वादी द्वारा सम्पर्क पेश नहीं करने पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फाइल सुमार किया जाकर नस्ती हो जावे।

NAD 4/5/2018

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
साँभर लेक (जयपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner